



RERA REGISTRATION NO.: 13 of 2017 dated 03.07.2017 (www.haryanarera.gov.in)

सूचना Licence No.: 157 of 2014 dated 11.09.2014

परियोजनाः Grand IVA, कमर्सियल स्पेसः Signum 103 जबकि

 निम्नलिखित आवटी को उपरोक्त पिरयोजना में उनके आवेदन के तदनानुसार निम्नलिखित इकाई आवंटित की गयी थीः

क्रमांक	आवंटी का नाम	आवंटित इकाई	बीबीए तिथि	टीपीए तिथि	रद्द करने की सूचना देने वाले बैंक के पत्र की तिथि	उक्त बैंक पत्र के बारे में आवंटी को सूचित करने वाले पत्र की तिथि
1	UMESH Pathania	4-403	25-05-2016	07.06.2018	01.11.2022	05.11.2022

- उपरोक्त आवंटी ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदनुसार, ऋण वितरित किया गया था।
- उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के मुगतान में चूक की स्थिति में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का मुगतान संबंधित बैंक की सूचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
- 4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवंटी ने उक्त ऋण राशि के भुगतान में चूक की है और साथ ही आवंटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शतांनुसार रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
- 5. उपरोक्त आवंटी को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवंटी की ओर से उक्त ऋण की अदायंगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही है।

इसके सूचना के जिरए सूचित किया जाता है उपरोक्त आवंटी ने यदि उक्त ऋण की अदायगी में में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सुचनानुसार आवंटन को रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवंटी के पास उक्त आवंटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दावा नहीं रहेगा और कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी भी व्यक्ति एवम पार्टी को उक्त आवंटन को बेचने, देने या स्थानांतरित करने की हकदार होगी।